कार्यालयः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

आदेश संख्या–14/2021

(दिनांक–06.04.2021)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1941/LXXXVII-CPC/e Courts/Allahabad Dated 05.04.2021 में कोविड–19 के दौरान पूर्व जारी दिशा निर्देशो का अधिक्रमण (Supersession) करते हुए निम्नलिखित दिशा–निर्देश न्यायालयों के संचालन के सम्बन्ध में जारी किये जाते हैं–

1. सभी पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य पूर्व की भॉति केवल साक्ष्य अभिलेखन को छोडकर करते रहेगें। यदि साक्ष्य अभिलेखन अत्यधिक आवश्यक है, तब प्रधान न्यायाधीश की अनुमति के पश्चात ही साक्ष्य लिखी जायेगी।
2. न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य पूर्ण होने के पश्चात सभी पीठासीन अधिकारीगण को न्यायालय परिसर छोडने की अनुमति होगी।
3. पीठासीन अधिकारीगण न्यायालय कक्ष में कम से कम वादकारी एवं विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति हेतु स्वयं के स्तर से उचित कदम उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारीगण जब तक कि पक्षकार बीमार न हो, उसे न्यायालय में उपस्थित होने से रोकेगें नहीं, परन्तु अधिवक्तागण द्वारा बहस के दौरान न्यायालय में प्रवेश से रोक लगा सकते हैं।
4. सम्बन्धित जिला प्रशासन/सी.एम.ओ. विशिष्ट समय हेतु न्यायालय परिसर को बंद करने का मत व्यक्त करते हैं, तब प्रधान न्यायाधीश उस विशिष्ट समय हेतु न्यायालय परिसर को बंद कर और सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाए।
5. न्यायालय परिसर खुलने से पूर्व उसकी साफ सफाई व समुचित प्रकार से सैनेटाईजेशन के लिए जिला प्रशासन व नगर आयुक्त गाजियाबाद को पत्र लिखा जाए। जानपद न्यायालय परिसर में आने वाले अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्वान अधिसक्तागण एवं वादकारीगण आदि की थर्मल स्क्रैनिंग किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया जाए।
6. सभी न्यायिक अधिकारीगण माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, भारत सरकारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो का अनुपालन करेगें।
7. न्यायालय सुनवाई के दौरान पुरूष अधिवक्तागण सफेद शर्ट एवं लाईट कलर का पेंट तथा महिला अधिवक्तागण सोबर पोशाक पहनेगी।
8. इसी प्रकार न्यायिक अधिकारीगण को कोट व गाउन पहने से छूट प्रदान की गयी है।
9. रोजाना निर्णीत वाद/प्रार्थना-पत्रों की समेकित आख्या ई-सर्विस पोर्टल पर प्रेषित करेगें।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी उक्त दिशा–निर्देश दिनांक 06.04.2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगें।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

अनिता राज 6/4/21

(अनिता राज)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

गाजियाबाद।

Principal Judge Family Court
Ghaziabad (U.P.)